


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/2758 /

जबलपुर, दिनांक 22/06/2023

श्री अंकित सोनकर आत्मज श्री राजू सोनकर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर का त्यागपत्र दिनांक 13.06.2023 अपराह्न से स्वीकार करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे एक माह के नोटिस के एवज में एक माह के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करें अन्यथा, वांछित राशि उन्हें प्राप्त होने वाली राशि से वसूल की जावेगी।



(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/2759 /

जबलपुर, दिनांक 22/06/2023

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम) स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम) लेखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ अग्रेषित है कि यदि श्री अंकित सोनकर आत्मज श्री राजू सोनकर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर त्याग पत्र हेतु एक माह पूर्व सूचना के अभाव में एक माह के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करने में असफल रहते हैं तो नियमानुसार उनकी बकाया राशी की वसूली की जावें,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.) स्थापना/न्यायिक/लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक, स्थापना/अवकाश/वेतनपत्रक/सेवा पुस्तिका/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री अंकित सोनकर आत्मज श्री राजू सोनकर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)